अध्याय II: रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान

2.1 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाइपर) की स्थिति की समीक्षा

2.1.1 भूमिका

भारत सरकार ने नाइपर अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान में गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु मोहाली में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाइपर) की स्थापना की। संस्थान का उद्देश्य औषधीय शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री, डॉक्टरेट एवं पोस्ट डॉक्टरेट पाठ्यक्रम तथा औषधीय शिक्षा में अनुसंधान पर ध्यान देना था। संस्थान को औषधीय शिक्षा के विज्ञान और कला में अध्यापकों में नवपरिवर्तन लाना व उन्हें प्रशिक्षित करना था तथा औषधीय शिक्षा क्षेत्रों में नए ज्ञान के सृजन व विद्‌यमान जानकारी के प्रसार में सहायता करना था। इसे व्यवसाय, शिक्षा एवं औषधीय उद्‌योग के हितों को साधने हेतु औषधीय जनशक्ति के अनुसंधान व प्रशिक्षण कराने हेतु बहु-विषयी दृष्टिकोण भी विकसित करना ध्येय था।

नाइपर अधिनियम को तदुपरान्त 2007 में संशोधित किया गया तथा उसके अनुसार केंद्र सरकार ने छः नये नाइपरस हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, रायबरेली एवं हाजीपुर में स्थापित करने हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया (अगस्त 2007), जिन्होंने 2007-08 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। नाइपरस औषध विभाग (डी ओ पी), रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (एम ओ सी एफ) के अन्तर्गत स्वायत्त निकायों के रूप में कार्य कर रहे हैं। 2007-08 से 2017-18 के दौरान सात नाइपरस में प्रत्येक को संस्वीकृत अनुदान और जारी धनराशि तथा किये गये व्यय का विवरण **अनुलग्नक-I** में दर्शाया गया है।

2.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदण्ड, क्षेत्र एवं कार्यविधि

अधिनियम के तहत विहित सरकारी संरचना है कि नहीं और पर्याप्त ढांचागत सुविधाएँ, शिक्षक (संकाय) तथा तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारी नाइपर के लिए उपलब्ध थे कि नहीं एवं अधिनियम के तहत परिकल्पित उद्देश्य प्राप्त हुआ कि नहीं, को पता करने के लिए अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। लेखापरीक्षा मानदण्ड, नाइपर अधिनियम तथा

सम्बन्धित सांविधिक एवं नियम पुस्तिकाओं, बोर्ड आफ गवर्नरस(बीओजी)/ स्टीयरिंग समिति की बैठकों के कार्यवृत्त, नाइपर तथा संबंधित राज्य सरकारों के बीच करार, प्रतिपालक संस्थान एवं संबंधित राज्य सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) तथा सातों नाइपरस एवं डीओपी/ एमओसीएफ के संगत अभिलेखों से प्राप्त किये गये थे। लेखापरीक्षा ने 2007-08 से 2017-18 की अवधि के अभिलेखों की जाँच की।

2.2 लेखापरीक्षा परिणाम

2.2.1 छः नये नाइपरस में बोर्ड आफ गवर्नरस (बीओजी) गठित नहीं करना

नाइपर अधिनियम के खण्ड 8(1) के अनुसार नाइपर के मामलों की सामान्य अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण बीओजी के पास होगा। इन संस्थानों की स्थापना के परिकल्पित उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने एवं कुशल संचालन एवं सुचारू शासन के लिए बीओजी की स्थापना जरूरी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड ऑफ गवर्नरस संस्था के लिए सबसे ऊँचा उत्तरदायी निकाय था, इस तथ्य के बावजूद, मंत्रालय द्वारा छः नये नाइपरस में बीओजी के गठन की प्रक्रिया संस्थानों की स्थापना से आठ वर्ष से ज्यादा विलंब के बाद अंततः जुलाई 2015 से शुरू हुई। बीओजी की अनुपस्थिति में सचिव (रसायन एवं औषधि) की अध्यक्षता में संचालन समिति[1](एससी) ने सभी नए नाइपरस के लिए बीओजी के कार्यों का निर्वहन किया। बीओजी नाइपर, मोहाली का पुर्नगठन जून 2014 में होना था पर वास्तव में दो साल के विलम्ब के साथ जुलाई 2016 में यह पुनर्गठित की गयी।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2019) कि नाइपर अधिनियम, 1998 के अनुसार 9 मार्च 2019 को छः नए नाइपरस नामतः अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता और रायबरेली में बीओजी का गठन किया जा चुका है। बीओजी के गठन में देरी के कारणों पर मंत्रालय का उत्तर मौन था। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रत्येक संस्थान में समर्पित बीओजी नहीं होने के कारण नए नाइपरस में स्थाई आधारभूत संरचना, प्राध्यापक कर्मचारी इत्यादि की कमी है जिसकी अनुगामी पैराग्राफ में चर्चा की गयी है।

---

[1] *एमओसीएफ द्वारा स्टीयरिंग समिति का गठन, दिसम्बर 2007 में, जब तक प्रत्येक नाइपर के लिए बीओजी का गठन न हो जाये, सभी नाइपरस के काम काज पर नजर रखने एवं नीतिगत निर्णय लेने के लिए किया गया था।*

2.2.2 आधारभूत संरचना सुविधाओं एवं जनशक्ति की पर्याप्तता

2.2.2.1 नियमित कैम्पस और परिसर का अभाव

एमओसीएफ द्वारा नवम्बर 2008 में छः नाइपरस के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया गया, तदुपरान्त दिसम्बर 2010 तथा जनवरी 2011 में संशोधित किया गया और कुल लागत ₹2778.21 करोड़ प्रस्तावित की गई। व्यय वित्त समिति (इएफसी) ने भूमि की उपलब्धता के विषयाधीन, कुल ₹633.15 करोड़ की पूंजीगत लागत पर सरकारी वित्त पोषण के माध्यम से चरण-1 (चरण-1 में स्थायी आधारभूत संरचना सुविधाओं का निर्माण शामिल है) में छः नाइपरस की स्थापना का अनुमोदन (जनवरी 2011) दिया। प्रस्ताव, संघीय कैबिनेट द्वारा सितम्बर 2011 में अनुमोदित किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि स्थापना के दस वर्ष से ज्यादा बीतने के बाद भी छः नये नाइपरस में से कोई भी अपने नियमित कैम्पस या परिसर में संचालित नहीं हो रहा था। नाइपर अहमदाबाद अस्थाई भवन में कार्य कर रहा था जबकि दूसरे नए पाँच नाइपरस निर्दिष्ट मेंटर संस्थान[2] (नाइपर गुवाहाटी को छोड़कर जोकि अगस्त 2017 में निजी किराए के कैम्पस में स्थानांतरित हो गया था) से संचालित हो रहा था। मंत्रालय द्वारा संस्थानों के लिए स्थाई कैम्पस की व्यवस्था करने में देरी हुई जिसने विद्यार्थियों एवं शिक्षण स्टाफ के लिए उत्कृष्ट आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता को बुरी तरह प्रभावित किया। भूमि आवंटन एवं स्थाई कैम्पस के निर्माण की स्थिति को निम्न तालिका 2.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1: भूमि आवंटन एवं स्थायी परिसर के निर्माण की स्थिति

नाइपर का नाम	आबंटित भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	भूमि आवंटन की तिथि	प्रारम्भिक लागत अनुमान (₹करोड़ में)	स्थिति
मोहाली	खुद का परिसर	खुद का परिसर	लागू नहीं	लागू नहीं

---

[2] *नाइपर गुवाहाटी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी (2 नवम्बर 2016 तक); नाइपर, हाजीपुर-राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च संस्थान मेडिकल साइंस, पटना; नाइपर, हैदराबाद-सीएसआईआर-भारतीय रसायन तकनीकी संस्थान, हैदराबाद; नाइपर कोलकाता-सीएसआईआर भारतीय रसायन जीवविज्ञान संस्थान, कोलकाता; और नाइपर, रायबरेली-सीएसआईआर केन्द्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।*

गुवाहाटी	89	मार्च 2008	159.69 (दिसम्बर 2014)	भूमि आवंटन के सात वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद मार्च 2018 तक भवन निर्माण मात्र 43.45 प्रतिशत ही पूरा हुआ है।
अहमदाबाद	60	अप्रैल 2009	198.87 (सितम्बर 2011)	₹198.87 करोड़ (2011) का प्रारम्भिक अनुमान बढ़ाकर (सितम्बर 2015) ₹497.40 करोड़ कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप लागत ₹298.53 करोड़ बढ़ गई जो अभी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होनी बाकी थी।
हैदराबाद	50	जनवरी 2014	499.24 (मई 2016)	भूमि की पट्टा अवधि दिसम्बर 2017 में समाप्त हो गयी परन्तु नाइपर हैदराबाद द्वारा उसको विस्तारित कराने हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया।
रायबरेली	48.57	मई 2013	अभी अन्तिम रूप नहीं	पीएमसी अभी तक तय नहीं हुई थी तथा निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ था।
कोलकाता	10	जनवरी 2018	अभी अन्तिम रूप नहीं	प्रारम्भ में पश्चिम बंगाल सरकार (जीओडब्लयू) ने बरूईपुर में 35 एकड़ भूमि नाइपर कोलकाता को आबंटित (जुलाई 2009) की थी, जो कि जुलाई 2017 में नाइपर द्वारा विकास लागत के भुगतान न करने के कारण तथा नाइपर द्वारा साझा क्षेत्र के लिए 10 एकड़ भूमि छोड़ने के अनिच्छुक होने के कारण, निरस्त कर दिया गया। पुनः जनवरी 2018 में, जीओडब्लयू ने 10 एकड़ भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया।
हाजीपुर		भूमि अभी तक आबंटित नहीं	लागू नहीं	संस्थान द्वारा प्रतिरूप योजना प्रस्तुत न करने के कारण राज्य सरकार ने भूमि आवंटन नहीं किया।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2018) कि वह, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ, भवन निर्माण के लिए पर्याप्त धन के निर्गम के लिए सतत प्रयासरत है। मंत्रालय ने आगे कहा (मार्च 2019) कि केवल नाइपरस अहमदाबाद व गुवाहाटी के नियमित परिसर के निर्माण हेतु प्रत्येक के लिए ₹103.88 करोड़ स्वीकृत किये गए हैं। नाइपर गुवाहाटी का

60 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जबकि नाइपर अहमदाबाद परिसर का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ होगा।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि पिछले दस वर्षों से संस्थान किराए के परिसरों से संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा, शेष चार नाइपरस (हैदराबाद, हाजीपुर, कोलकाता और रायबरेली) हेतु नियमित परिसर के निर्माण का अनुमोदन अभी तक मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया है।

2.2.2.2 नियमित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती न होना

छः नये नाइपरस में किसी के पास भी, निदेशक को छोड़कर कोई स्थायी शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी नहीं था। संस्थानों के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक क्रियाकलाप पूर्णतः ठेके पर नियुक्त कर्मचारी/संकाय के माध्यम से चल रहे थे। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि निदेशक को छोड़ कर छः नये नाइपरस में कोई भी पद, एमओसीएफ द्वारा मार्च 2018 तक स्वीकृत नहीं किये गये थे। मानदंडों के अनुसार भर्ती, मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक एवं प्रशासनिक नियमित पदों की स्वीकृति के बाद ही की जा सकती थी।

नियमित स्वीकृत पदों एवं स्थाई प्राध्यापक/संकाय के न होने के कारण प्राध्यापकों एवं उपलब्ध कर्मचारियों की गुणवत्ता और नाइपरस में संविदात्मक कर्मचारियों की नियुक्ति में पारदर्शिता को लेखापरीक्षा निश्चित नहीं कर सकता। अस्थाई नियुक्ति करने के समय पदों की संख्या एवं वर्ग को निर्धारित करने के आधार में एकरूपता नहीं थी। नाइपर, हैदराबाद ने संकाय-विद्यार्थी का अनुपात 1:12 अनुगमन किया जब कि अहमदाबाद ने 1:8 का (एआईसीटीई मानदंड) अनुगमन किया। कोलकाता गुवाहाटी, रायबरेली और हाजीपुर में शैक्षिक एवं अशैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यकता के आधार पर की गई।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2018) कि नियमित शैक्षिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से नियुक्त किए जाते हैं। आगे यह कहा गया (मार्च 2019) कि व्यय विभाग ने फरवरी 2019 में छः नाइपरस में 156 पद संकाय कर्मचारियों और 150 पद गैर-संकाय कर्मचारियों का अनुमोदन किया। उनके नियुक्ति नियम पूरा होने के क्रम में है।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य से देखना जरूरी है कि यद्यपि गत दस वर्षों से नए नाइपरस कार्य कर रहे हैं, मंत्रालय कार्यविधित औपचारिकता पूरा करने में असफल रहा और इसलिए नए नाइपरस में स्थाई योग्य संकाय और कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे।

2.2.2.3 संविदात्मक कर्मचारियों की नियुक्ति एवं नियमितीकरण

नाइपर की संविधि के खण्ड 6 के अनुसार, नाइपर, मोहाली संविदा के आधार पर नियुक्ति कर रहा था। एमओसीएफ ने दिनांक 3 जुलाई 2014 को अधिसूचना जारी कर, यह निर्दिष्ट करने के लिए, खण्ड 6 में संशोधन किया कि, नाइपर नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए एक नीति अपनाती है तथा नाइपर, मोहाली के अनुमोदन से गठित एक उच्चस्तरीय समिति(एचएलसी) विद्‌यमान संविदा आधारित कर्मचारियों की अनुशंसा एवं नियमितीकरण कर सकती है।

दिसम्बर 2015 एवं फरवरी 2017 के बीच एचएलसी ने 151 संविदा-आधारित कर्मचारियों में से 140 के नियमितीकरण के लिए अनुशंसा की। 132 को बिना किसी शर्त के नियमितीकरण के लिए अनुशंसा की तथा शेष आठ के नियमितीकरण के लिए भी, न्यायालय के निर्णय एवं सीबीआई अन्वेषण के परिणाम के विषयाधीन, अनुशंसा की। शेष 11 कर्मचारियों के संदर्भ में, समिति ने उनकी आरम्भिक नियुक्ति में अनियमितता पाई, और अनुशंसित किया कि उन मामलों को बीओजी के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किए जाए।

नियमितीकरण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच निम्नलिखित दर्शाती है:

(i) नियमितीकरण के पूर्व, मंत्रालय के निर्देश के संदर्भ में सभी 140 मामलों की पुनः जाँच के लिए, बीओजी के स्पष्ट निर्देश के बावजूद, संस्थान ने आठ कर्मचारियों, जिनके विरूद्ध न्यायालय/ सीबीआई मामले लंबित थे, को नियमित (अप्रैल 2017) कर दिया।

(ii) आगे उन 11 कर्मचारियों के मामलों में जिसमें एचएलसी ने अनियमितताएँ पायी थी, बीओजी ने, ग्यारह में से सात कर्मचारियों को, उनके द्‌वारा उपलब्ध कराये गये प्रलेखों के आधार पर नियमित करने हेतु मंत्रालय (मई/ जून 2017) को अनुशंसा की। हालाँकि इन सात कर्मचारियों के नियमितीकरण के आदेश को, इन कर्मचारियों द्‌वारा दायर मुकदमों (मई 2017) के निस्तारित होने तक, रोक लिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीओजी द्‌वारा मंत्रालय को नियमितीकरण के लिए अनुशंसित सात मामलों में से, एक मामले में, एक कर्मचारी एम कॉम उपाधि होने के बावजूद औषधि विभाग में सह-आचार्य था। जबकि आवश्यक अर्हता, विज्ञान/ औषधि या अभियांत्रिकी में एक स्नातक उपाधि थी, अन्य मामले में, बोर्ड ने, आईसीएमआर (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्) के दिशानिर्देशों के आधार पर वैज्ञानिक ग्रेड-I तथा कनिष्ठ

तकनीकी सहायक के पदों के लिए आवश्यक अर्हता में शिथिलता प्रदान की थी, हालांकि आईसीएमआर नियम न तो संविधि/ अध्यादेश में अपनाया गया था और न ही नाइपर मोहाली की भर्ती नीति में शामिल किया गया था।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2018/मार्च 2019) कि यद्यपि नाइपर, मोहाली को भर्ती प्रक्रिया में नाइपर अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए उत्तरदायित्व तय करने के लिये निर्देश (अप्रैल 2016) दिया गया था, संबंधित अधिकारियों पर उत्तरदायित्व और जवाबदेही तय करना व्यावहारिक रूप से असंभव है क्योंकि वे या तो बहुत पहले ही संस्थान छोड़ चुके हैं या सेवानिवृत हो चुके हैं। मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि मोहाली में कर्मचारियों की नियुक्ति एवं नियमितीकरण में चूक हुई एवं पारदर्शी नियुक्ति के अभाव में लेखापरीक्षा संस्थान के उपलब्ध शिक्षण स्टाफ एवं कर्मचारियों की गुणवत्ता पर आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका।

2.2.3 नाइपरस की शैक्षणिक उपलब्धि

सभी नाइपरस में 2007-08 से 2017-18 तक नामांकित विद्यार्थियों,परिकल्पित सीटों की संख्या, शामिल होने वाले विद्यार्थियों एवं वे जिन्होंने कोर्स पूरा किया, का विवरण निम्नलिखित तालिका 2.2 में हैः

तालिका 2.2: 2007-08 से 2017-18 तक नामांकित विद्यार्थियों का विवरण

नाइपर का नाम	प्रारंभ में परिकल्पित (1)	शामिल विद्यार्थी (2)	शामिल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत (3)=(2)/(1)	पूरा किया गया कोर्स (4)	कोर्स पूरा करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत(5)=(4)/(2)
अहमदाबाद	779	596	77	563	94
गुवाहाटी	370	333	90	332	99
हाजीपुर	511	403	79	385	96
हैदराबाद	1080	1055	98	1025	97
कोलकाता	572	470	82	469	99
मोहाली	3036#	2980	98	2785	93
रायबरेली	392	352	90	343	97

#पीएचडी कोर्स के लिए शामिल विद्यार्थियों की संख्या से संबंधित आँकड़ों के अभाव में नामांकित वास्तविक विद्यार्थियों को ही परिकल्पित संख्या के रूप में लिया गया है। कोर्स पूरा करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कोर्स के लिए अनुकरण करने वाले विद्यार्थी शामिल थे।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 2007 से 2018 तक सभी नाइपरस में 77 प्रतिशत से 98 प्रतिशत सीटें भर गई थी और 90 प्रतिशत से ज्यादा विद्यार्थियों ने कोर्स पूरा किया।

2.2.3.1 विद्यार्थियों का स्थानन

नाइपरस की उपलब्धि का मानदंड कोर्स को पूरा करने के बाद विद्यार्थियों का स्थानन होगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि स्वतंत्र, पूरी तरह विकसित स्थाई कैंपस, स्थाई प्रशिक्षण एवं स्थानन अधिकारी की अनुपलब्धता और संस्थानों के आस-पास औषधीय कम्पनियों की कमी ने नाइपरस में स्थानन को प्रभावित किया जोकि 2007-18 के दौरान कम रहा। नाइपर, हैदराबाद को छोड़कर जोकि विद्यार्थी के स्थानन में लगातार अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर रहा था और जहाँ विद्यार्थियों का स्थानन लगभग 80 प्रतिशत था, अन्य नाइपरस में स्थानन की प्रवृति बेहद अनियमित थी जो कि वर्षवार 22 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक थी।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2018) कि आधारभूत व्यवस्थाएँ जैसे कि प्रयोगशाला, पुस्तकालय में सुधार और ज्यादा संविदात्मक/स्थाई शिक्षण स्टाफ एवं कर्मचारियों की नियुक्ति से स्थानन की संभावना बढ़ सकती है। आगे यह कहा गया (मार्च 2019) कि संचालन समिति ने संविदात्मक आधार पर नाइपरस को स्थानन अधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया विकसित करने का निर्देश दिया है (जून 2018)। मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा अवलोकन का समर्थन करता है कि नाइपरस में आधारभूत व्यवस्थाओं की कमी और शिक्षण स्टाफ/कर्मचारियों की कमी के कारण विद्यार्थियों के स्थानन में कमी आई। इसके अलावा, नए नाइपरस के कामकाज के दस साल से अधिक समय बाद ही मंत्रालय द्वारा स्थानन अधिकारी की आवश्यकता पर विचार किया गया।

2.2.3.2 शोध पत्र और दर्ज पेटेंट

अनुमोदित पेटेंटों की संख्या के अलावा, प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या और इस तरह के शोध के प्रभाव नाइपरस की शैक्षणिक उपलब्धियों के मापदंड हैं। नाइपरस ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाओं जैसे यूरोपियन जर्नल ऑफ फार्मास्युटिक्स एंड बायोफार्मास्युटिक्स, जर्नल ऑफ़ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, ट्रैक ट्रेंड्स इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडियन जर्नल ऑफ़ ट्रेडिशनल नॉलेज, इंडियन जर्नल ऑफ़ फार्मास्युटिकल साइंसेज, इंडियन जर्नल ऑफ़ फार्माकोलॉजी आदि में शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। नीचे दी गई तालिका 2.3 2007-18 के दौरान नाइपरस में छात्रों इत्यादि द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या का विवरण दर्शाती है

तालिका 2.3: 2007-08 से 2017-18 तक प्रति छात्र प्रकाशित शोध पत्रों एवं दर्ज कराये गए पेटेंटों की संख्या का विवरण

नाइपर का नाम	प्रकाशित शोध पत्र	दर्ज हुए पेटेंट	पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या	प्रति छात्र प्रकाशित शोध पत्र की संख्या	प्रति छात्र दायर किये गए पेटेंट की संख्या
मोहाली	2279	179 (45 प्राप्त)	2785	0.81	0.06
हैदराबाद	300	14	1025	0.29	0.01
अहमदाबाद	189	3	563	0.33	0.005
गुवाहाटी	132	0	332	0.39	0
हाजीपुर	55	0	385	0.14	0
कोलकाता	54	0	469	0.11	0
रायबरेली	38	0	343	0.11	0

प्रकाशित किए गए शोध पत्रों की संख्या और दर्ज कराये गए पेटेंट में नाइपरस, मोहाली के अलावा अन्य नाइपरस का प्रदर्शन उत्साहवर्धक नहीं था। नाइपर मोहाली ने पूर्ण संख्या में अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए और प्रति छात्र प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या भी अधिक थी। इसने 179 पेटेंट के लिए आवेदन किया और 45 पेटेंट प्राप्त किए, जिनमें से सात का व्यवसायीकरण किया गया। नाइपरस मोहाली के अलावा केवल अन्य दो नाइपरस ने पेटेंट दायर किया। मंत्रालय ने नाइपरस द्वारा किए गए शोध के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए कोई मानदंड तय नहीं किया।

अनुसंधान के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए लेखापरीक्षा ने पत्रिकाओं के इम्पैक्ट फैक्टर[3] की समीक्षा की जिसमें नाइपर मोहाली के शोध पत्र प्रकाशित किए गए थे (यह सभी नाइपरस द्वारा प्रकाशित कुल शोध पत्रों का लगभग 75 प्रतिशत था)। प्रबंधन ने पत्रिकाओं का इम्पैक्ट फैक्टर प्रदान किया जिसमें नाइपर मोहाली[4] के 1958 पत्र प्रकाशित किये गए (फरवरी 2019 तक प्रकाशित 2495 पत्रों में से) 190 पेपर

---

[3] *किसी दिए गए वर्ष में इम्पैक्ट फैक्टर पूर्ववर्ती 2 वर्षों के दौरान उस पत्रिका में प्रकाशित प्रति पेपर के प्राप्त उद्धरणों की औसत संख्या है।*

[4] *स्त्रोतः स्कोपस जो वैज्ञानिक पत्रिकाओं, किताबों और सम्मेलन की कार्यवाही का एक सार उद्धरण डेटाबेस है, जिसे एलसेवियर द्वारा बनाए रखा गया है, और पबमेड डेटाबेस जिसमें समकक्ष समीक्षित बायोमेडिकल साहित्य के सार शामिल हैं और यह यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में स्थित नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलोजी इनफार्मेशन के द्वारा बनाए रखा गया है।*

(10 प्रतिशत) पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए जिसके इम्पैक्ट फैक्टर 5 से अधिक थे, 1591 पेपर (81 प्रतिशत) 1 से 5 के बीच इम्पैक्ट फैक्टर वाली पत्रिकाओं में एवं 177 पत्र (9 प्रतिशत) 1 से कम इम्पैक्ट फैक्टर वाली पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए।

मंत्रालय ने कहा कि (मार्च 2018/मार्च2019) एक बार आधारभूत संरचना जैसे कि प्रयोगशाला/उपकरण/नियमित कर्मचारी आ जाएँ, जिसे कि धनराशि की कमी के कारण विकसित नहीं किया जा सका, पेटेंट/शोध पत्रों की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी होगी। आगे यह कहा गया (अप्रैल 2019) कि अध्यक्ष के रूप में सचिव के साथ एक अंतर विभागीय समिति (आईडीसी) का गठन जनवरी 2019 में किया गया, जो समय-समय पर, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के तहत विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा किये गए शोध कार्यों की सहयोगपूर्ण, समक्रमिक एवं सहक्रिय तरीके से समीक्षा और समन्वय करता है, ताकि अनुसंधान के संचालन में धनराशि का अनुकूलतम उपयोग हो और प्रयासों और संसाधनों के दोहराव से बचा जा सके।

मंत्रालय का उत्तर आगे इस तथ्य को स्थापित करता है कि नए नाइपरस की स्थापना के दस साल के बाद भी मंत्रालय की आवश्यक आधारभूत संरचना स्थापित करने में असमर्थता के कारण नाइपरस के तय लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी।

2.2.4 वित्तीय प्रबंधन

2.2.4.1 आंतरिक स्त्रोतों से पर्याप्त निधि का उत्पन्न न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2005 के नियम 208 (III) तथा जीएफआर, 2017 के नियम 229 (IV) के प्रावधानों के अनुसार, नये अथवा पहले से ही विद्यमान सभी स्वायत्त संगठनों को आंतरिक संसाधनों के अधिकतम जनन हेतु और अंततः आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एमओसीएफ ने निर्देश दिया कि (जुलाई 2017) सरकार संस्थानों को अनिश्चित काल के लिए निधि देना जारी नहीं रख सकती तथा उन्हें अपने स्वयं के संसाधन उत्पन्न करने होंगे। इसके बाद से, वेतन पर व्यय के केवल एक हिस्से की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा शेष संकाय द्वारा स्वयं परामर्श, परियोजनाओं आदि द्वारा अर्जित करने की आवश्यकता होगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थाएँ मुख्य रूप से एमओसीएफ के द्वारा दिये गए अनुदान से वित्तपोषित थी तथा व्यय का केवल एक छोटा सा हिस्सा उनके स्वयं के राजस्व से पूरा किया गया था, जिसे तालिका 2.4 में देखा जा सकता हैः-

तालिका 2.4: 2007-08 से 2017-18 के दौरान नाइपरस में स्वयं के राजस्व से किए गए कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण

नाइपर का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
मोहाली	लागू नहीं	24	24	27	24	24	18	18	16	14	16
अहमदाबाद	6	6	7	16	18	20	18	20	11	7	6
हैदराबाद	5	1	4	9	9	6	7	13	8	10	15
हाजीपुर	4	6	9	7	30	14	6	7	2	7	7
गुवाहाटी	लागू नहीं	8	8	23	17	4	9	11	1	3	1
रायबरेली	लागू नहीं	2	3	6	9	10	13	10	8	11	8

इस प्रकार संस्थाएँ जीएफआर और मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार आंतरिक स्त्रोतों से पर्याप्त निधि का उत्पादन करने में विफल रही। यह भी पाया गया कि उपलब्ध और आंतरिक उत्पन्न राजस्व से अधिक वास्तविक व्यय के कारण, नाइपर मोहाली आवश्यक निधि का स्थानांतरण इसकी पेंशन निधि में नहीं कर सका।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2018) कि वेतन एवं कार्यालय व्यय के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि के लिए प्रस्ताव व्यय विभाग को भेजा गया था जिसमें नाइपर मोहाली के लिए माँगे गये धन का आवंटन नहीं किया गया। संस्थाओं को निधि हेतु आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए गए प्रयासों एवं प्रस्तावित रोड मैप के बारे में मंत्रालय का उत्तर मौन है।

2.2.4.2 वार्षिक लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सदन के पटल पर रखे गये पत्रों पर समिति ने अपने पहले प्रतिवेदन (पाँचवी लोकसभा) 1975-76 में अनुशंसित किया कि प्रत्येक स्वायत्तशासी निकाय को लेखा वर्ष समाप्त होने के तीन माह के अन्दर अर्थात 30 जून तक अपने लेखे पूर्ण कर लेने चाहिए तथा लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराने चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थानों का लेखा प्रस्तुत करने में काफी देरी हुई जैसा कि तालिका 2.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.5: लेखा प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

नाइपर का नाम	वर्षों की संख्या जिसमें लेखे विलम्ब से प्रस्तुत किये गये	लेखा प्रस्तुतीकरण में विलम्ब
हैदराबाद	10 (2007-08 से 2016-17)	10 माह से 79 माह
हाजीपुर	10 (2007-08 से 2016-17)	6 माह से 68 माह
कोलकाता	10 (2007-08 से 2016-17)	1 माह से 41 माह
रायबरेली	9 (2008-09 से 2016-17)	1 माह से 44 माह
अहमदाबाद	6 (2011-12 से 2016-17)	9 दिन से 30 माह
गुवाहाटी	8 (2008-09 से 2011-12 और 2013-14 से 2016-17)	2 माह से 23 माह
मोहाली	3 (2014-15, 2015-16, 2016-17)	3 दिन से 16 माह

नाइपरस द्वारा खातों को समय पर जमा करने से संबंधित मुद्दे पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा फरवरी 2018 को चर्चा की गई जिसमें यह निर्देश दिया गया कि वार्षिक लेखों के विवरण के साथ वार्षिक रिपोर्ट समय पर संसद में रखी जाए।

मंत्रालय ने कहा कि (मार्च 2019) संचालन समिति ने नाइपरस को निर्देश दिया कि वार्षिक लेखे सदन के पटल पर रखने हेतु समय पर भेजें। छः नाइपरस के बीओजी गठन किये गए तथा यह उम्मीद की जाती है कि नाइपरस के वार्षिक लेखे को समय पर रखा जाएगा। मंत्रालय का जवाब इस तथ्य को साबित करता है कि बीओजी के गठन नहीं होने के कारण संस्थानों के प्रबंधन में कमियाँ पैदा की और संस्थानों के लेखों को समय पर जमा करने में देरी एक ऐसा उदाहरण था।

2.2.4.3 प्रशिक्षण कार्यकाल से पहले छोड़ने वाले विद्यार्थियों से छात्रवृति वापस न लेने के कारण निष्फल व्यय

नाइपर अधिसूचना 2005 के अनुसार, एमएस, एमटेक, और पीएचडी कोर्स करने वाले विद्यार्थी छात्रवृति हेतु योग्य हैं। हालांकि नाइपर द्वारा व्यक्तिगत बांड के रूप में कोई भी सुरक्षा उपाय नहीं किया गया जिससे कि यदि कोई विद्यार्थी कोर्स को छोड़कर जाता है या निष्कासित होता है तो छात्रवृति पर खर्च राशि ऐसे विद्यार्थी से वसूली जा सके।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 2007-18 के दौरान नाइपर अहमदाबाद में एमएस फार्मा कोर्स करने वाले 550 विद्यार्थियों एवं पीएचडी कोर्स वाले 46 विद्यार्थियों में से क्रमशः 40 और 11 विद्यार्थियों ने कोर्स पूरा नहीं किया और बीच में ही छोड़कर चले गए। परिणामस्वरूप, इन विद्यार्थियों को दी गई ₹41.30 लाख की छात्रवृति व्यर्थ हो गई। उसी तरह से नाइपर मोहाली, हैदराबाद और रायबरेली ने क्रमशः 2004-18, 2007-16 और 2012-18 के दौरान क्रमशः 41 विद्यार्थियों, 18 विद्यार्थियों एवं 7 विद्यार्थियों पर छात्रवृति के लिए ₹33.30 लाख, ₹5.13 लाख और ₹2.63 लाख का व्यर्थ व्यय किया।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2018/मार्च 2019) कि वसूली की संभावना को भारतीय तकनीकी संस्थान के नियमों के आलोक में देखा जा रहा है। संचालन समिति ने फैसला किया (दिसम्बर 2017) कि यदि विद्यार्थी संस्थान छोड़ते हैं तो फीस लौटाई नहीं जाएगी और विद्यार्थियों को उनके द्वारा प्राप्त छात्रवृति की पूरी राशि लौटानी होगी। साथ ही जमानत की राशि बढ़ाकर ₹10,000 से ₹25,000 कर दी गई। मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि इस प्रकार के सुरक्षा उपायों में कमी के कारण संस्थान छोड़ चुके विद्यार्थियों को दिए गए ₹41.30 लाख वसूल नहीं किए जा सके।

2.3 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2019 तक छः नए नाइपरस में बीओजी का गठन नहीं किया गया था और संचालन समिति बीओजी के कार्यों का निर्वहन कर रही थी। नाइपर, मोहाली में बीओजी को दो वर्ष की देरी से पुनर्गठित किया गया। समर्पित शासकीय संरचना, नियमित शैक्षिक कर्मचारी और पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के अभाव में,संस्थान देश में औषधीय शिक्षा को एक महत्वपूर्ण तरीके से अग्रसर करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं, जो प्रकाशित शोध पत्रों एवं देय पेटेंट के खराब प्रदर्शन और छात्रों के खराब स्थानन में परिलक्षित हुआ है।

2.4 अनुशंसाएँ

- मंत्रालय और नाइपरस को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए कि नाइपरस के समुचित संचालन के लिए आवश्यक अवसंरचना जल्द से जल्द पूरी हो।
- मंत्रालय द्वारा संकाय के लिए भर्ती नियम जल्द से जल्द अधिसूचित किए जाने चाहिए।

- स्पष्ट रूप से उत्पादन लक्ष्य और प्रदर्शन मानकों को पूरा करने के लिए मंत्रालय तथा नाइपरस के बीच एमओयू किया जाना चाहिए।

मंत्रालय ने अनुशंसाओं को स्वीकार किया (जुलाई 2019) और आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।